291

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/4718

नारायण काले पुत्र स्व. श्री महेश्वर काले, निवासी- 46,नई कॉलोनी, छत्तरपुर म.प्र.

........निगरानीकर्ता

बनाम

1. महिला रामकली पुत्री चिन्त्या पत्नी बावूलाल यादव, निवासी- पॉवर हाउस के पीछे, सटई रोड, छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

2. सुभाष काले पुत्र महेश्वरराव काले, निवासी- डिवीजनल एक्जीक्यूटिव ऑफीसर, अत्यंता व्यवसायी सहकारी विकास निगम, जबलपुर म.प्र.

3. सुधीर काले पुत्र श्री महेश्वरराव काले, निवासी- भिवड़ी महाराष्ट्र

4. श्रीमती चित्रालेखा पुत्री स्व.श्री महेश्वर काले, पत्नि श्री रामतिलक निवासी- सुभाष, विदिशा म.प्र.

5. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री महेश्वर राव काले,

6. कुसुम गौडसे पुत्री श्री महेश्वर राव काले, पत्नि श्री संतोष गोडसे,

निवासीगण-दोहा (कतर)

7. ऊषा पलनिटकर पुत्री स्व. श्री महेश्वर राव काले पत्नि श्री सुधीर निवासी- विमान नगर, पूना (महाराष्ट्र)

8. शोभना विडो पुत्री स्व. श्री महेश्वरराव काले, पत्नि श्री सुनील विडो, निवासी- सिचाई विभाग, जलगांव (महाराष्ट्र)

पल्लव त्रिपाठी, का.नि.
28-11-17

28-11-17

पं०दि० 5-12-17

Recd
5/12/17

3

9. कोशल किशोर शुक्ला पुत्र श्री सीताराम शुक्ला, निवासी-परवारी मोहल्ला, छत्तरपुर (म.प्र.)

.........रेस्पोंडेंटस

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.10.2017 प्रकरण कमांक 159/बी-121/15-16 रामकली बनाम नारायण काले पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पत्रिका से विधि विरूद्ध रूप से प्रकरण में प्रकाशन द्वारा तामील मान्य की गई।

सम्माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी याचिका सादर निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा वर्तमान निगरानी आदेश पत्रिका दिनांक 17.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है जिसमें निगरानीकर्ता को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

2. यहकि, प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2009-10 में भूमि श्री महेश्वर काले के नाम दर्ज थी, तदुपरांत अचानक ही चिन्टा यादव का नाम कब्जेदार के रूप में इन्द्राज हुआ और उक्त इन्द्राज बिना किसी आदेश के बिना भूमि स्वामी को सूचित किये पारित किया गया।

3. यहकि, उक्त आदेश पारित किये जाने की जानकारी होने के उपरांत श्री महेश्वर काले द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.1987 को रिकॉर्ड में सुधार कर पूर्ववत महेश्वर काले का नाम इन्द्राज किया गया, उक्त आदेश के उपरांत कौशल किशोर शुक्ला द्वारा एक अन्य अपील प्रकरण कमांक 99/अपील/88-89 प्रस्तुत की गई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4718 नारायण विरूद्ध रामकली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 159/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 25/2/2019 सदस्य	